सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-1111/RJ/29/2023-RO-JPR

दिनांक: 03.12.2024

सेवा में,

Shri Mukesh Bhartia
Chairman
Rajasthan Marudhara Gramin Bank
Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura,
Jhodhpur- 342003 (Rajasthan)
(Phone – 7600037783, Email:- chairman@rmgb.in)

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा जबरन सेवा से निवृत करने के संबंध में - श्री रमेश मीणा, (कर्मचारी नं. 1793, शाखा प्रबंधक,राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक) प्लाट नं.1130, शंकर कोलोनी न्यू लोहा मण्डी रोड माचडा ,जयपुर का दिनांक 15-03-2024 का अनुवर्ती अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2024 को 4:30 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(एच.आर.मीना /H.R Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:- 24641640

प्रतिलिपि :-

श्री रमेश मीणा
प्लाट न. 1130, शंकर कॉलोनी, न्यू लोहा मंडी रोड
माचडा, जयपुर – 302013 (राजस्थान)
मो न. 9414581386

Copy for information

1. PS to Hon'ble Chairperson , NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री रमेश मीणा, पूर्व शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा रावतसर के खिलाफ बैंक द्वारा अनियमितता का आरोप लगाकर अनिवार्य सेवानिवृति देने के संबंध मे – श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2024 को शाम 04:30 बजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली की बैठक के कार्यवृत।

(फ़ाइल न. NCST/SER-1111/RJ/29/2023-RO-JPR)
बैठक की तिथि : 04.11.2024, शाम 04:30 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्रक

श्री रमेश मीणा, प्लाट नं. 1130, शंकर कोलोनी न्यू लोहा मण्डी रोड माचडा, जयपुर ने अभ्यावेदन दिनांक 28.12.2022 में बताया कि वे राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक. शाखा- रावतसर, हनुमानगढ़ में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। बैंक ने अनियमितता के आरोप में विभागीय जाँच करवाकर, दिनांक 29.05.2023 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी । बैंक प्रसाशन द्वारा नियमों का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया तथा उचित अवसर भी नहीं दिया। अतः, सेवानिवृति आदेश को निरस्त कर, पुन: सेवा में सम्पूर्ण लाभ के साथ बहाल करवाने का कष्ट करें।

2. प्रकरण में तथ्य तथा आख्या भेजने हेतु, NCST ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 01.12.2023 के द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर, राजस्थान से भेजने का आग्रह किया। इसके उत्तर में, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने पत्र दिनांक 21.12.2023 के द्वारा तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत की, जिसमें बताया की आवेदक ने बैंक के नियमों के विरुद्ध ऋण जारी किया, जिससे बैंक को आर्थिक हानि हुई। आवेदक ने इस संबंध में उच्च न्यायालय का भी सहारा लिया। बैंक प्रशासन ने बैंक के सेवा नियमों के अनुसार, आवेदक को समय-समय पर पत्राचार के माध्यम से कार्यवाई के बारे में अवगत भी कराया।

3. इस पत्र को NCST ने पत्र दिनांक 20.02.2024 के द्वारा आवेदक को भेजा। आवेदक ने अपने प्रतिउत्तर दिनांक 15.03.2024 द्वारा असंतोष व्यक्त किया एवं न्याय की मांग की। NCST ने समसंख्यक पत्र दिनांक 01.04.2024 के द्वारा आवेदक के प्रतिउत्तर की प्रति, संबन्धित अधिकारी को तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करने हेतु, प्रेषित किया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने पत्र दिनांक 24.05.2024 के द्वारा तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत की, जिसे NCST ने पत्र दिनांक 03.07.2024 के द्वारा आवेदक को भेज दिया । आवेदक ने प्रतिउत्तर दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से पुन: न्याय की मांग की ।

4. आयोग ने दिनांक 04.11.2024 को प्रकरण में अधिकारियों एंव आवेदक के साथ सिटिंग करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना दिनांक 16.10.2024 को संबंधित अधिकारी एंव आवेदक को प्रेषित कर दी गई ।

5. अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एंव आवेदक सिटिंग में उपस्थित हुये । आवेदक से अपनी समस्या बताने का आग्रह किया गया । आवेदक ने बताया कि उन्हे एसटी होने के कारण निशाना बनाया गया, बैंक में ऐसे अन्य ओर मामले भी हैं, जिनमें अधिकारी / कर्मचारी को चेतावनी या मामूली दंड दिया गया, जबकि बैंक ने मुझे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी । अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने बताया कि बैंक ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है और निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अपील को भी खारिज कर दिया है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6. आयोग ने पाया कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा दंड लगाते समय एससी/एसटी अधिकारियों के प्रति विशेष सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिए, का पालन नहीं किया है। चूंकि दंड आदेश(Penalty order) में इस तरह के विचार का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए बैंक द्वारा की गई कार्यवाई उचित प्रतीत नहीं होती।

7. बैंक अधिकारियों एंव आवेदक द्वारा बताए गए तथ्यों को सुनने के बाद, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, प्रकरण में निम्न बिन्दुओं से संम्बंधित दस्तावेज़/सूचना, आयोग को 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करे। इसके बाद, आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाई करने पर विचार किया जाएगा –

- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल की संरचना की अधिसूचना / परिपत्र की प्रति।
- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2018, की प्रति।
- पत्रांक सतर्कता /30011 दिनांक 27.03.2024 की प्रति।
- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु बनाई गई "आंतरिक शिकायत निवारण समिति" की प्रति (जैसा कि आयोग ने अगस्त 2021 में सभी विभागों को "आंतरिक शिकायत निवारण समिति" बनाने की सलाह दी थी, प्रति संलग्न।)

26-11-2024

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. NCST/SER-1111/RJ/29/2023-RO-JPR

List of participants of the sitting held on 04.11.2024 at 4:30 PM under the Chairmanship of Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, NCST regarding अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा जबरन सेवा से निवृत करने के संबंध में - श्री रमेश मीणा, (कर्मचारी नं. 1793, शाखा प्रबंधक,राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक) प्लाट नं.1130, शंकर कोलोनी न्यू लोहा मण्डी रोड माचडा ,जयपुर का दिनांक 02.11.2023 का अभ्यावेदन ।

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Surat Singh Director		
2.	R. S. Misra Consultant		
3.	Shri Akash Tripathy Sr. Investigator		
4.	Shri Mukesh Investigator		
5.	Shri Neelmani Thakur Consultant (Legal)		
6.	Shri Ajay Andley Consultant		
II	**राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक**		
Sr. No.	**Name and Designation**	**Address & Phone No.**	**Signature**
1.	Mukesh Bhartia Chairman	SARDARPURA Jodhpur 7600037783	[signature]
2.	Sanjeev Kumar GM (Vig)	Sardar Pura Jodhpur 8003994774	[signature]
3.	Dilip Garwal Manager (Lision officer SC-ST)	Sardar Pura, Jodhpur 9116014372	[signature]
4.	Sachin Sharma Assistant Manager	Sardarpura Jodhpur 9887820459	[signature]
III	**आवेदक**		
	रमेश चन्द मीणा	जयपुर न्यू लोहामंडी 9414581386	[signature]